

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 374]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 अगस्त 2011—श्रावण 12, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2011

क्र. बी-4-26-2010-2-पांच (22).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 80-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन परियोजनाओं के लिए निष्पादित की जाने वाली शासकीय भूमि के पट्टे/विकास अनुबंध की लिखतों पर प्रभार्य शुल्क से छूट प्रदान करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2011

क्र. बी-4-26-2010-2-पांच (22).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-4-26-2010-2-पांच (22), दिनांक 3 अगस्त 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 3rd August 2011

No. F-B-4-26-2010-2-V(22).—In exercise of the powers conferred by Section 80-B of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government, hereby, remits the fee chargeable on the instruments of lease/development agreement of the Government land executed by the Tourism Department of State of Madhya Pradesh for tourism projects.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2011

क्र. बी-4-26-2010-2-पांच (23).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन परियोजनाओं के लिए निष्पादित की जाने वाली शासकीय भूमि के पट्टे/विकास अनुबंध की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2011

क्र. बी-4-26-2010-2-पांच (23).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-4-26-2010-2-पांच (23), दिनांक 3 अगस्त 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 3rd August 2011

No. F-B-4-26-2010-2-V-(23).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, remits the stamp duty chargeable on the instruments of lease/development agreement of the Government land executed by the Tourism Department of State of Madhya Pradesh for tourism projects.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl. Secy.